रजिस्ट्री सं० डी० एल० 33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 85] नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 14, 2014/फाल्गुन 23, 1935
No. 85] NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 14, 2014/PHALGUNA 23, 1935

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड
अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 मार्च, 2014

फा.सं. आरईजी/टी4एस/एनजीपीएल/1/2012.–पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड अधिनियम, 2006 (2006 का 19) की धारा 61 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड एतदद्वारा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (प्राकृतिक गैस पाइपलाइनों के लिए सुरक्षा मानकों सहित तकनीकी मानक और विशिष्टियां) विनियम, 2009 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, नामत: :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभण :**

(1) इन विनियमों को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (प्राकृतिक गैस पाइपलाइनों के लिए सुरक्षा मानकों सहित तकनीकी मानक और विशिष्टियां) संशोधन विनियम, 2014 कहा जाएगा।

(2) ये सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (प्राकृतिक गैस पाइपलाइनों के लिए सुरक्षा मानकों सहित तकनीकी मानक और विशिष्टियां) विनियम, 2009 की अनुसूची 1घ में **'सुविधाओं की सुरक्षा'** शीर्षक के अंतर्गत "औद्योगिक क्षेत्र में लगाई जाने वाली उचित पक्की चारदीवारी...... " से शुरू होने वाले और " ...... ऊपर कांटेदार तार भी उपलब्ध कराई जा सकती है" से समाप्त होने वाले शब्दों में निम्नलिखित को जोड़ा जाए, नामत: :—

"गृह मंत्रालय के दिशानिर्देशों और सिफारिशों के अनुसार समय-समय पर कराए गए जोखिम आकलन के आधार पर श्रेणी-क के अंतर्गत कंप्रेशर स्टेशनों तथा अन्य स्थापनाओं को महत्वपूर्ण माना जाना चाहिए तथा उनके चारों ओर औद्योगिक क्षेत्र में लगाई जाने वाली उचित पक्की चारदीवारी कम से कम तीन (3) मीटर ऊंची होनी चाहिए जिसके ऊपर 0.6 मीटर अतिरिक्त कांटेदार तार लगी हों।

इंटरमीडिएट पिगिंग (आईपी) स्टेशनों, खंडवार वाल्व (एसवी) स्टेशनों, सुपुर्दगी/प्रेषण स्टेशनों, प्राप्ति टर्मिनलों आदि जैसी अन्य स्थापनाएं, जिन्हें श्रेणी ख और ग के अंतर्गत महत्वपूर्ण माना जाता है, जहां पर या तो औद्योगिक क्षेत्र में लगाई जाने वाली उचित पक्की चारदीवारी अथवा चेन लिंक फेंसिंग कम से कम तीन (3) मीटर ऊँची होनी चाहिए, जिसके ऊपर 0.6 मीटर कांटेदार तार लगी हो। तथापि, गृह मंत्रालय के दिशा-निर्देशों/सिफारिशों के अनुसार श्रेणी ख और ग स्थापनाएं, जहां चेन लिंक फेंसिंग लगी हो, वहां स्थापना के वर्गीकरण की समीक्षा करने के लिए वर्ष में कम से कम एक बार जोखिम आकलन कराया जाना चाहिए।

उपर्युक्त प्रावधानों का अनुपालन करने के लिए, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (प्राकृतिक गैस पाइपलाइनों के लिए सुरक्षा मानकों सहित तकनीकी मानक और विशिष्टियां) संशोधन विनियम, 2014 के लागू होने की तारीख से दो वर्ष का समय दिया जाना चाहिए।"

के. राजेश्वर राव, ओएसडी (आर)

[विज्ञापन/III/4/असा./188/13]

पाद टिप्पणी: मूल विनियमों को **सा.का.नि.** 808(अ), दिनांक 11 नवंबर, 2009 द्वारा अधिसूचित किया गया था तत्पश्चात् इसमें क्र.सं.186, दिनांक 03/09/2012 द्वारा संशोधन किया गया था।

PETROLEUM AND NATURAL GAS REGULATORY BOARD
NOTIFICATION

New Delhi, the 14th March, 2014

F. No. REG/T4S/NGPL/1/2012.—In exercise of the powers conferred by Section 61 of the Petroleum and Natural Gas Regulatory Act, 2006 (19 of 2006), the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board hereby makes the following regulations to amend the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Technical Standards and Specifications including Safety Standards for Natural Gas Pipelines) Regulations, 2009, namely:—

1. **Short title and commencement:**

(1) These regulations may be called the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Technical Standards and Specifications including Safety Standards for Natural Gas Pipelines) Amendment Regulations, 2014.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Under heading "**PROTECTION OF FACILITIES**" in Schedule 1D of the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Technical Standards and Specifications including Safety Standards for Natural Gas Pipelines) Regulations, 2009, for the words beginning with "Proper industry type boundary masonry wall......" and ending with ".......barbed wire on top can also be provided.", the following shall be substituted, namely:—

"Proper industry type boundary masonry wall at least three (3) metres high with an additional 0.6 metres barbed wire on the top shall be provided all around the Compressor Stations and other installations identified as vital under Category-A based on the Risk Assessment carried out from time to time in line with Ministry of Home Affairs (MHA) guidelines and recommendations.

For other installations like Intermediate Pigging (IP) stations, Sectionalizing Valve (SV) stations, Delivery/Dispatch stations, Receiving Terminals etc. identified as vital under Category B and C, either proper industry type boundary masonry wall or chain link fencing at least three (3) metres high including 0.6 metres barbed wire on top may be provided. However, the Category B and C installations having chain Link Fencing shall be required to carry out Risk Assessment at least once every year for review of categorization of installation in line with MHA guidelines/recommendations.

For compliance of the above provisions, two years time shall be allowed from the date of coming into force of the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Technical Standards and Specifications including Safety Standards for Natural Gas Pipelines) Amendment Regulations, 2014.".

K. RAJESWARA RAO, OSD(R)
[ADVT. III/4/Exty./188/13]

Foot Note: Principal regulations were notified *vide* No. G.S.R. 808(E), dated 11th November, 2009 subsequently amended *vide* S. No. 186, dated 03/09/2012.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.